



उत्तराखण्ड विधान सभा

विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : वि०स०/०५/संसदीय/२०२२

देहरादून, दिनांक: ०१ मई, २०२३

अधिसूचना/प्रकीर्ण

माननीय राज्यपाल का निम्नलिखित आदेश दिनांक 27 अप्रैल, 2023 सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“ ‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ले ज गुरमीत सिंह, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से नि), राज्यपाल, उत्तराखण्ड एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य की पंचम विधान सभा के वर्ष, 2023 के प्रथम सत्र का सत्रावसान तत्काल प्रभाव से करता हूँ।”

(लेपिट्नेंट जनरल गुरमीत सिंह)
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से नि)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

ह०/-
(हिम चन्द्र पन्त)
उप सचिव (लेखा)
कृते सचिव।

संख्या : १३६ /वि०स०/०५/संसदीय/२०२२, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

1. माननीय अध्यक्ष के प्रमुख निजी सचिव को माननीय अध्यक्ष की सूचनार्थ,
2. माननीय नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव को माननीय नेता प्रतिपक्ष की सूचनार्थ,
3. माननीय मुख्यमंत्री के वरिष्ठ निजी सचिव को माननीय मुख्यमंत्री की सूचनार्थ,
4. समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
5. समस्त माननीय सदस्यगण, विधान सभा, उत्तराखण्ड,
6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन,

8. सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
9. सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 84 संसद भवन, नई दिल्ली,
10. सचिव, माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड,
11. सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
12. सचिव गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली,
13. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड,
14. महासचिव, लोक सभा/राज्य सभा तथा अन्य राज्यों की विधान सभा/ विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव,
15. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड,
16. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल,
17. पुलिस महानिदेशक, देहरादून,
18. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, देहरादून,
19. प्रधान महालेखाकार, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून,
20. महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड,
21. प्रभारी मीडिया सेंटर, विधान भवन, उत्तराखण्ड,
22. अनुभाग अधिकारी, शोध एवं संदर्भ शाखा को विधान सभा की वेबसाइट हेतु,
23. विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

४५

(हम चब्द पक्त)
उप सचिव (लेखा)
कृते सचिव।